"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अगस्त 2011—श्रावण 15, शक 1933

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2011/710.—छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में दिनांक 7 अप्रैल, 2011 के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 70 की उपधारा (1), सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्र. 317) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारुप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में शब्द "अथवा दोनों द्वारा" के स्थान पर, शब्द "अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/अनुदेश के अनुसार" प्रतिस्थापित किये जायें.

2. नियम 6 के उपनियम (7) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परंतु, राज्य सरकार, आदेश/अनुदेश जारी करते हुए निर्देश दे सकेगी कि किसी भी समय प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पर विचार किए बिना, चयन एकमात्र योग्यता (मेरिट) के आधार पर ही होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2011/711.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2011/710, दिनांक 06-08-2011 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th August 2011

NOTIFICATION

No./P/PGVV/22/2011/710.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Panchayat Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2007 with retrospective effect from 7th April, 2011 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 53 and sub-section (1) of Section 70 read with sub-section (1) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Principal Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur (Room No. 317) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 6, for the words "or by both." the words "or as per order/instruction issued by the State Government from time to time." shall be substituted.

2. After clause (d) of sub-rule (7) of Rule 6, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that, the State Government may by issuing order/instruction, direct that the selection shall be made solely on the basis of merit irrespective of the number of applications received at any time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Joint Secretary.